

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, रांची - 834001

विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की
अंतिम तिथि-15.11.2019

विज्ञापन संख्या-06/2019

झारखण्ड राज्य के नगर विकास एवं आवास विभागान्तर्गत लेखा पदाधिकारी के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-6371(अनु0) दिनांक-07.08.2019 तथा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-3137(अनु0) दिनांक-30.07.2019 द्वारा **लेखा पदाधिकारी** के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रेषित अध्याचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में Online आवेदन पत्र (आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध) आमंत्रित किये जाते हैं।

1. (i) पद का नाम- लेखा पदाधिकारी (Account Officer)

(ii) विभाग द्वारा अध्याचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

Sl. No.	Category	Vertical Reservation No. of vacancies	Horizontal Reservation against total vacancy					
			Women	Handicapped				
				Sports	Blind & Low vision	Deaf & Dumb	Locomotive	Autism/ Multiple disabilities
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	UR	07	01	00	01	00	00	00
ii	SC	02						
iii	ST	04						
iv	BC-I	01						
v	BC-II	01						
vi	EWS	01						
Total of (i) to (vi)		16	01	00	01	00	00	00

नोट:- कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

(iii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार संकल्प संख्या-5555 दिनांक-28.06.2016 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए चिन्हित पदों में से 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण आदिम जनजाति के लिए देय होगा। ये आदिम जनजातियों के पद वैसे अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे जो न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करेंगे। मेधा सूची में यदि अनुमान्य आदिम जनजाति के सदस्य स्वतः आ जाते हैं तो आदिम जनजाति के लिए अलग से अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जायेगा किन्तु यदि आदिम जनजाति के सदस्य अनुसूचित जनजाति की मेधा सूची में नहीं आते हैं तो इन्हें मेधा क्रमानुसार 02 प्रतिशत पद उपलब्ध करा दिये जायेंगे। राज्य सरकार के संकल्प संख्या-7358 दिनांक-12.09.2019 के आलोक में न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के अभाव में ये पद रिक्त नहीं रहेंगे अपितु अनुसूचित जनजाति के अन्य योग्य उम्मीदवार से भरे जायेंगे अर्थात् बैकलॉग नहीं होगा।

2. वेतनमान - PB-II, 9300-34800, ग्रेड वेतन रू0 - 5400
3. पद - स्थायी
4. परीक्ष्यमान अवधि - 2 (दो) वर्ष
5. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता :-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्य/अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

6. उम्र गणना की संदर्भ तिथि :- 01.08.2015 एवं 01.08.2019

नोट:- उम्र गणना की संदर्भ तिथि-01.08.2015 मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है जिनके द्वारा पूर्व विज्ञापन संख्या-06/2017 के विरुद्ध आवेदन किया गया था।

- (a) न्यूनतम उम्र सीमा :- 21 वर्ष।

- (b) अधिकतम उम्र सीमा :- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-609 दिनांक-25.01.2016 एवं संकल्प संख्या-7636 दिनांक-12.10.2018 के अनुसार:-

क्र0 सं0	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा	निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए
1.	अनारक्षित	35 वर्ष	45
2.	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)	37 वर्ष	47
3.	महिला (अनारक्षित /अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)	38 वर्ष	48
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	50

- (c) निःशक्तता का लाभ :-

(i) आवेदन पत्र में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित निःशक्तता का दावा नहीं करने पर निःशक्तता का लाभ देय नहीं होगा। बाद में निःशक्तता का दावा मान्य नहीं होगा।

(ii) निःशक्तता का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-2249 दिनांक-03.04.2018 के आलोक में कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्त अभ्यर्थी को ही देय होगा। निःशक्तता का दावा हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-2249 दिनांक-03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति **Online** आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप मुख्य परीक्षा के पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निःशक्तता के लिए किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा। निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर **Important Jharkhand Government Circular and Notices** में भी उपलब्ध है।

- (d) भूतपूर्व सैनिकों (Ex- Service men) को उनकी कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट देय है।

- (e) झारखण्ड राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो उनको अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 (पांच) वर्षों की छूट दी जायेगी।

7. सीधी नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :-

- (a) अर्हताधारी अभ्यर्थियों की प्रारंभिक, मुख्य (लिखित) परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित की जायेगी।

8. परीक्षा का स्वरूप, विषय एवं पाठ्यक्रम:-

लेखा पदाधिकारी के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम निम्नरूपेण होगा:-

प्रारंभिक परीक्षा :-संसूचित रिक्तियों से 10 गुणक से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी तथा इसमें दो पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र 100 अंको का होगा। इसका पाठ्यक्रम निम्नांकित है:-

(A) General Studies Paper- I

Time 3 Hours

- (i) History of India and Indian National Movement
- (ii) India and World Geography
- (iii) Indian Polity and Economy
- (iv) History, Geography, Economics and Culture of Jharkhand

(B) General Studies Paper- II

Time 3 Hours

- (i) General Science
- (ii) General Mental ability
- (iii) Current events of State, National and International Importance
- (iv) Basic Numericals and Quantitative Aptitude

प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कोटिवार रिक्तियों की 10 गुणा संख्या में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा :-

मुख्य परीक्षा विषयनिष्ठ होगी तथा इसमें तीन पत्र होंगे। इनके विषय एवं पाठ्यक्रम के विवरण निम्न प्रकार है :-

I. प्रथम पत्र- समय : 3 घंटा, कुल अंक-100

(i) सामान्य हिन्दी-50

- | | | |
|-------------------------------------|---|--------|
| (a) निबंध | - | 15 अंक |
| (b) व्याकरण | - | 15 अंक |
| (c) अनुच्छेद आधारित बोधात्मक प्रश्न | - | 10 अंक |
| (d) संक्षेपण | - | 10 अंक |

(ii) सामान्य अंग्रेजी-50 अंक

- | | | |
|-----------------------------|---|----------|
| (a) Short Essay (400 words) | - | 15 Marks |
| (b) Grammar | - | 15 Marks |
| (c) Comprehension Passage | - | 10 Marks |
| (d) Business Letter | - | 10 Marks |

मुख्य परीक्षा का प्रथम-पत्र अनिवार्य होगा तथा इसमें न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के ही अन्य पत्रों की जाँच होगी, परन्तु प्रथम पत्र के प्राप्तांक को मेधा सूची में नहीं जोड़ा जायेगा।

II. द्वितीय पत्र -

सामान्य अध्ययन, समय : 3 घंटा, कुल अंक-100

- (a) General Principles of Financial Management in State/Public Sector
- (b) Social Problems of India with Special reference to Jharkhand
- (c) Economic Problems of India with Special focus to Jharkhand in the areas of Agriculture/Industry/Social and Human resource Development (Health, Education etc.)

